



**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश  
(लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन)**

**नियम पुस्तिका**

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण (एनटीईपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत  
संविदा डीआरटीबी कॉन्डिनेटर, संविदा स्टेट पी.पी.एम.कॉन्डिनेटर,  
जिला कार्यक्रम समन्वयक के चयन के लिए

**(ऑनलाइन लिखित टेस्ट द्वारा)  
(2021-2022)**

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश, के राष्ट्रीय एनटीईपी कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा स्टेट पी.पी.एम. काउन्सेलर, डी.आर.टी.बी. काउन्सेलर, एवं संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. स्टेट पी.पी.एम. काउन्सेलर, डी.आर.टी.बी. काउन्सेलर, एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31, मार्च 2022 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा :

### १. पद का विवरण:

#### १. १ संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद का विवरण

क्र. स.	पद का नाम	कुल सीटें	अनारक्षित (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाती (16%)		ओबीसी- (27%)		निःशक्त जनो के लिए (6%)			
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	वी.प.प.	एच.प.प.	ओ.डी.	एम.डी.
१.	संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक	31	6	3	2	1	4	2	3	2	5	3	0	1	1	0

- द्रष्टिबाधित और कमद्रष्टि (व्ही एच)
- बहरे ओर कम सुनने वाले (एचएच)
- लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन ,एसडि अटेक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी (ओडी)
- ऑटिज्म ,बौद्धिक,दिव्यांगता ,स्पेसिफिक, लर्निंग डिसेब्रिलेटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता (एमडी)
- निःशक्तजनों के लिये, संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के लिये 02 पद रिक्तियों में से उक्त पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्त इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

#### १. २ एकल पद का विवरण:

क्र.स.	पद का नाम	रिक्त पद संख्या (ओपन)
१	संविदा डीआरटीबी काउन्सेलर	0१
२	संविदा स्टेट पीपीएम काउन्सेलर	0१

नोट- उपरोक्त पदों में रिक्त पद संख्या 01 होने के कारण आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जाना है।

समान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा की तारीख और ऑनलाइन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करके <http://www.nhmmp.gov.in/> या [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) पर जाएं।

आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत 20/12/2021 पूर्वाह्न १२:०१ बजे से होगी।  
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20/01/2022 को रात ११:५९ बजे है।

## २. शैक्षिक और अन्य पात्रताएँ:

### २.१ विवरण

क्र. स.	पदनाम	रिक्त पद संख्या	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछनीय शैक्षिक अर्हता
१	संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक	31	22000/-	1. MBA/ PG Diploma in Management / Health Administration from a Recognized institute/ University 2. At least 1 year of work experience	1. Preference will be given to those who have worked in the field of Development/ Health at District/ State level 2. Basic knowledge of computers
२	संविदा डीआरटी बी कॉर्डिटर	01	50000/-	1. MBBS or equivalent degree from institution, recognized by Medical council of India; 2. One year experience of working in NTEP	1. MD Community Medicine/ Diploma of Master in Public Health Administration (CHA)/ Tuberculosis & Chest diseases 2. Preference to candidates who have experience in PMDT 3. Working Knowledge of Computers
३	संविदा स्टेट पी. पी.एम. कॉर्डिनेटर	01	50000/-	1. Post Graduate degree in MSW OR MBA 2. One year Experience of working in field of Public-Private Partnership/ Health projects/ programs 3. Certificate Course in Computer Operation (minimum two Months)	1. Preference to those who have worked in NTEP program 2. Certificate/ Diploma/ Degree/ Masters holders in Social Sciences/ Mass Media / Communication/ Rural Development/ Advocacy /Partnerships /related field

२.२. आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा:

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- अभ्यर्थियों द्वारा जिन उपरोक्त पद हेतु आवेदन किया गया है उक्त पद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय शैक्षिक अर्हता की उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची / अनुभव प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- **संविदा डीआरटीबी कॉर्डिटर के पद के लिए** मध्य प्रदेश म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
- उपरोक्त योग्यता के लिए केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम (**Full-Time Course**) पर विचार किया जाएगा
- उपर्युक्त सभी पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के बाद के अनुभव (**Post Qualification Experience**) पर विचार किया जाएगा।
- जिन पद के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, उन पदों के लिए केवल पंजीकरण के बाद के अनुभव पर विचार किया जायेगा।

२.३ योग्यता अनुभव और पंजीकरण की गणना के लिये संदर्भ तिथि: 01 /01/2022

३. \*आयु सीमा: २१-४० वर्ष (\* आयु गणना की संदर्भ तिथि: 01/01/2022)

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम ५ वर्ष की छूट दी जाएगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित), और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए ४५ वर्ष की होगी, यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी हैं।

अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक C 3-8/ 2016/ 1/ 3 दिनांक जुलाई

04, 2019 द्वारा एवं समय-समय पर जारी संसोधन लागू समझे जायेंगे।

**स्पष्टीकरण:** आयु की गणना के लिए १०वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/ मार्क शीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध/ संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**४. वेतन:**

४.१. चयन के बाद, उम्मीदवार को **संविदा डी.आर.टी.बी. कॉडिनेटर, संविदा स्टेट पी.पी.एम. कॉडिनेटर एवं संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रति माह निर्धारित किये गये मासिक मानदेय दिया जाएगा।

**५. आरक्षण नियम:**

५.१ मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईडब्ल्यूएस, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी;

५.२ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे;

**६. आवेदन प्रक्रिया:**

६.१ उम्मीदवारों को **20/01/2022 की मध्यरात्रि ११:५९ बजे तक या उससे पहले स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस)** के वेबसाइट पर उपलब्ध **ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओएएफ)** को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा;

६.२ उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है;

६.३ आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [\* (आस्ट्रिक) से चिह्नित ] प्रदान करना आवश्यक है;

६.४ आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा;

६.५ आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया" है; आधे भरे हुए आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा;

६.६ एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाये बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए २-४ दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिए जाएंगे। जाँच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है;

६.७ सुधार/ अवलोकन अवधि के बाद, जन्म तिथि, श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा।

६.८ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:

(क) बहरा और सुनने में कठिनाई ।

(ख) दिमागी लकवा, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और पेशी अपविकास सहित अस्थिविषयक दिव्यांगता।

(ग) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

## ७. चयन प्रक्रिया:

७.१ परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यावहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए;

७.२ उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पदों के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/ या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी, प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य हो जाएगी;

७.३ चयन प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवार को परीक्षा / चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा या किसी भी उम्मीदवार के लिए या अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य माध्यम से चयन में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है;

७.४ उम्मीदवारों को परीक्षा से अयोग्य / निष्कासित कर दिया जाएगा, यदि वे परीक्षा में दुर्व्यवहार करते हैं और परीक्षा के दौरान शांति में बाधा खड़ी करने में शामिल होते हैं;

७.५ यदि उम्मीदवार फर्जी दस्तावेज प्रदान करते हैं या उनके दस्तावेज बदले/रूपांतरित/जाली हैं, या उन्होंने कोई ठोस जानकारी छिपाई है, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा;

७.६ यदि उम्मीदवार परीक्षा के लिए किसी अभिप्रेरक का उपयोग करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा;

७.७ कोई भी उम्मीदवार जिसके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला लम्बित /संस्थित है या अदालत द्वारा दंडित किया गया है, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा (पात्र नहीं होगा)।

## ७.८ संविदा डीआरटीबी कॉन्डिनेटर एवं संविदा स्टेट पी.पी.एम. कॉन्डिनेटर का चयन प्रक्रिया

७.८.१ संविदा डीआरटीबी कॉडिनेटर एवं संविदा स्टेट पी.पी.एम. कॉडिनेटर का चयन ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगा;

७.८.२ मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश को ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए योग्य उम्मीदवारों को बुलाने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार होगा टी.ओ.आर. के संदर्भ में न्यूनतम पात्रता किसी भी उम्मीदवार को ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए आमंत्रण का दावा करने के योग्य नहीं बनाएगा;

७.८.३ संविदा डीआरटीबी कॉडिनेटर एवं संविदा स्टेट पी.पी.एम. कॉडिनेटर के चयन के लिए, योग्य उम्मीदवारों का एक सेट स्कोरिंग मानदंड/ मैट्रिक्स पर 1:10 के अनुपात में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। (कृपया परिशिष्ट-I पर दिए गए स्कोरिंग मैट्रिक्स को देखें)

**नोट:**

यदि, पात्रता के आधार पर 10 से कम उम्मीदवार ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार योग्य / शॉर्टलिस्ट की उपलब्ध संख्या के साथ किया जा सकता है।

**ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार के पश्चात, दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी:**

(i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी;

(ii) एक ही जन्मतिथि/ उम्र के अभ्यर्थी होने पर, अनिवार्य संविदा डीआरटीबी कॉडिनेटर एवं संविदा स्टेट पी.पी.एम. कॉडिनेटर के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

**७.९ संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक का चयन प्रक्रिया**

७.९.१ संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के चयन के लिए, स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस) द्वारा एमसीक्यू (MCQ) आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा (ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा;

७.९.२ परीक्षा केंद्र/ शहर: (१) भोपाल (२) इंदौर (३) ग्वालियर (४) जबिपुर (५) रीवा (६) सागर (७) सतना

**नोट:** लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की संख्या कम होने की दशा में, सभी उम्मीदवारों का ऑनलाइन लिखित परीक्षा भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा सकता है।

७.९.३ ई-एडमिट कार्ड को एसएएमएस एवं एनएचएम, म. प्र. की आधिकारिक वेबसाइट [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) और <http://www.nhmmp.gov.in/> पर से परीक्षा तिथि के सात (७) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ एस.ए.एम.एस. एवं एन.एच.एम., म.प्र. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी;

७.९.४ विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद हेतु पाठ्यक्रम के आधार पर स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस) के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी; (सीबीटी आधारित ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जायेगा);

७.९.५ संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ १०० एम.सी.क्यू. (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न १ अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंकों को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा;

७.९.६ संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के लिये ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR/EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिमाण और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा;

७.९.७ उपरोक्त मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में, **मिशन निदेशक, एनएचएम, म.प्र.** आवश्यक के रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

**दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी:**

- (i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी;
- (ii) एक ही जन्मतिथि/ उम्र के अभ्यर्थी होने पर, अनिवार्य **संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक** के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

**८. स्थान आवंटन (संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक):**

८.१ मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा;

८.२ उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी**, पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है;

८.३ ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि “मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि उपरोक्त, स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगा जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर, **एनएचएम, म.प्र.** के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम, म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।

**९. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:**

- (क) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों में संबंधित **मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ)** द्वारा किया जाएगा।
- (ख) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण, आदि) भरते समय पूछे गए थे।
- (ग) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/ दस्तावेज/ पंजीकरण नहीं हैं, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।
- (घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।
- (ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

## १०. अन्य निर्देश और दिशानिर्देश:

चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

- (क) १०वीं या माध्यमिक / उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुए पाठ्यक्रम की वार्षिक / सेमेस्टर वार मार्क शीट।
- (ख) नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो तस्वीरें।
- (ग) मध्य प्रदेश के उप मंडल अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।
- (घ) स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र।
- (ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से १५ दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- (च) संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
- (छ) उपरोक्त प्रमाणपत्र / दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/ संविदा डीआरटीबी कॉर्डिनेटर, संविदा स्टेट पी.पी.एम. कॉर्डिनेटर, संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के लिए लागू होंगे।
- (झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र कार्यक्रम ग्रहण के समय पर लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाणपत्र जमा करने पर ही कार्यक्रम ग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ञ) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केंद्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

११. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद संविदा डीआरटीबी कॉर्डिनेटर, संविदा स्टेट पी.पी.एम कॉर्डिनेटर, संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

## १२. चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी समय नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा।

मिशन आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है।

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/ सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/ निरस्त करने का अधिकार होगा।

## १३. परिभाषाएँ:

१३.१ "चयन परीक्षा" का अर्थ संविदा संविदा डीआरटीबी कॉर्डिनेटर एवं संविदा स्टेट पी.पी.एम. कॉर्डिनेटर, संविदा जिला कार्यक्रम समन्वयक के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है;

१३.२ आरक्षित श्रेणी का अर्थ: पांच श्रेणियों से उम्मीदवार, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी); या मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अनुसार।



**SCORING MATRIX (Applicable for Contractual DRTB Coordinator and Contractula State PPM Cordinator , 2021-22)  
(For Preparing the Merit-list/ Shortlist for Personal Interview)  
(Maximum Marks-100)**

**परिशिष्ट-I**

#	Parameters	Max. Marks	Mark% of Essential Qualification and Additional Essential Experience (in Months)	Score Obtained	Description of Evaluation
1	Essential Qualifications	50	100%	50	<p>Marks shall be awarded based on candidate percentage of mark secured in completion of essential qualification which is required for a position as per ToR. If a candidate has secured 60% marks for her/his qualification which is essential for the position as per the ToR, a total of 30 marks shall be awarded out of 50 Marks. (e.g. <math>50 \times 60\% = 30</math> Marks)</p> <p><b>Consideration of Essential Qualification for awarding Marks:</b> (a) Higher essential qualification shall be considered for awarding marks; (e.g., if an essential qualification is required for any position as B.Sc. Nursing along with any PG Degree, in the event of this PG Degree, shall be considered for awarding marks); (b) In case multiple essential qualifications are required for any position (e.g., MBA/ MSW/ MA Social Sc., etc.) and the candidate possesses more than one similar above degrees, in the event of this candidate shall be awarded the marks based on the degree where s/he secured more marks in comparison to her/his other degree (But the details of such course should be mentioned in the Online Application Form filled by the candidate).</p> <p><b>Note:</b> (a) Document validation team reserve the right for validation of Mark% of the candidate degree and any deviation recorded at the time Document Validation Process may disqualify the candidate. (b) In the case of CGPA grading, the document validation team shall calculate the CGPA in percentage based on grading for which the candidate shall produce documentary proof for the basis of calculation of percentage. If an applicant fails to present the above-supporting documents, he/ she shall be liable for the disqualification/ cancellation of her/ his candidature</p>
2	Essential Experience	50	100% Marks for Additional 200 Months of Essential Experience [Note: No marks shall be awarded on a minimum number of years/ months on essential experience]	50	<p>Total score= 0.25 marks for each month of experience to the maximum of 50 marks.</p> <p>[Note: No marks shall be awarded on minimum number of years/ month on essential experience] (e.g. An Applicant has total 37 months of experience and essential experience is required of 36 months, in such scenario candidate shall be awarded mark for only one month, i.e. <math>1 \times 0.25 = 0.25</math> Total Marks for experience criteria</p>
<b>Total Marks</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

Note:

- The above matrix shall be used for the preparation of the merit list for the further selection process (i.e., Online Personal Interviews).
- The score obtained by candidates as per the above matrix shall not be carried forward in the preparation of the final selection list. Only personal interviews obtained marks shall be considered for the selection.